[2023] 10 एस**.** सी**.** आर **457:2023** आईएनएससी **617** ए

/

गुरुदीप सिंह बनाम.

रेगोंडा श्रीनिवास और ओआरएस। (सिविल अपील सं. 128/2023) जुलाई 04,2023

/

[बी**.** वी**.** नागरत्ना और

प्रशांत कुमार मिश्रा**,** जे**.** जे**.]**

अदालत की अवमानना-एनटीपीसी द्वारा भूमि का अधिग्रहण किया गया था और मुआवजा दिया गया था-एनटीपीसी द्वारा भूमि विस्थापितों को जूनियर मजदूर के रूप में भर्ती करने का प्रस्ताव किया गया था-इसके अनुसार, 2017 की अधिसूचना संख्या 1 जारी की गई-उच्च न्यायालय ने एनटीपीसी को निर्णय की तारीख से दो महीने के भीतर भर्ती की पूरी प्रक्रिया को समाप्त करने का निर्देश दिया अर्थात 17.12.2021-हालांकि, 2022 की एक नई अधिसूचना संख्या 1 जारी की गई थी और 2017 की अधिसूचना संख्या 1 को रद्द कर दिया गया था-अवमानना मामला दायर किया गया-उच्च न्यायालय ने माना कि एनटीपीसी के अपीलकर्ता-अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक और महाप्रबंधक ने एक नई अधिसूचना (2022 की अधिसूचना संख्या 1) जारी करके अदालत के आदेशों का उल्लंघन किया-उच्च न्यायालय ने अवमानना मामले की अनुज्ञात और अपीलकर्ताओं को सरल कारावास भुगतने का निर्देश दिया औरउच्च न्यायालय के दिनांक 1 के निर्णय के अवलोकन पर, यह सामने नहीं आता है कि इसने अपीलकर्ताओं को भर्ती की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए एक नई अधिसूचना जारी करने से रोक दिया-निर्णय निर्दिष्ट समय सीमा यानी भर्ती को पूरा करने के लिए दो महीने, जबकि जिस तरीके से भर्ती पूरी की जानी थी, वह अपीलकर्ताओं का विशेषाधिकार था-उच्च न्यायालय के आदेशों की कोई जानबूझकर और जानबूझकर अवज्ञा नहीं की गई थी-अपीलकर्ताओं ने आदेश के कथित उल्लंघन के आधार पर बिना शर्त माफी भी मांगी थी-इसलिए, उच्च न्यायालय द्वारा लगाई गई सजा सही नहीं थी-अपीलकर्ताओं की बिना शर्त माफी स्वीकार की गई-परिणामस्वरूप, उन पर लगाई गई सजा को दरकिनार कर दिया गया।

/

/

/

/

/

सिविल अपीलीय अधिकारिता सिविल अपील No.128

2023.

2022 के अवमानना मामले No.776 में हैदराबाद में तेलंगाना राज्य के लिए उच्च न्यायालय के दिनांक 30.12.2022 के निर्णय और आदेश से।

/

457

458

/

[2023] 10 एस सी आर।

सह

2023 की सिविल अपील No.92।

तुषार मेहता, एस. जी., गोपाल जैन, वरिष्ठ अधिवक्ता, आदर्श त्रिपाठी, विक्रम सिंह बैद, अजितेश गर्ग, अधिवक्ता।अपीलार्थी के लिए।

अरुण के. सिन्हा, सुमित सिन्हा, सुश्री अंजलि राजपूत, अधिवक्ता।उत्तरदाताओं के लिए।

/

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

नागरत्ना जे।

वर्तमान अपीलें तेलंगाना राज्य के उच्च न्यायालय द्वारा पारित अवमानना मामला संख्या 776/2022 में दिनांकित 30.12.2022 के निर्णय से उत्पन्न होती हैं, जिसमें अपीलकर्ता, जो कंपनी-एनटीपीसी लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक और महाप्रबंधक (मानव संसाधन) हैं, को दो महीने की अवधि के लिए साधारण कारावास और 50,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई है। 2, 000, इसमें उत्तरदाताओं द्वारा दायर अवमानना मामले की अनुमति देकर।

/

/

2. वर्तमान अपीलें मुख्य रूप से इस आधार पर दायर की गई हैं कि उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा डब्ल्यू. ए. संख्या 277/2020 में पारित सामान्य निर्णय के अपीलार्थियों द्वारा कोई

जानबूझकर और जानबूझकर अवज्ञा या गैर-अनुपालन नहीं किया गया है। 3.वर्तमान मामला वर्ष 1988 में एनटीपीसी लिमिटेड के बीच भूमि विस्थापितों के साथ एक त्रिपक्षीय समझौते के आधार पर जूनियर मजदूर के रूप में प्रत्यर्थियों और अन्य समान रूप से रखे गए भूमि विस्थापितों के दावे से संबंधित है।

/

4. संक्षेप में कहा गया है कि इन अपीलों तक पहुँचने वाले तथ्य यह हैं कि करीमनगर जिले के रामागुंडम मंडल के विभिन्न गाँवों में स्थित विभिन्न सीमा की भूमि के पूर्ण मालिक और मालिक यहाँ उत्तरदाता और समान रूप से स्थित व्यक्ति थे।उक्त भूमि का अधिग्रहण एनटीपीसी द्वारा 1980 से पहले किया गया था और उक्त भूमि के अधिग्रहण के लिए मुआवजा देने के लिए एक पुरस्कार पारित किया गया था।एनटीपीसी द्वारा भूमि विस्थापितों को जूनियर मजदूर के रूप में भर्ती करने का प्रस्ताव रखा गया था।एन. टी. पी. सी. ने एन. टी. पी. सी. में जूनियर मजदूर के 25 पदों को भरने के लिए योग्य भूमि विस्थापितों के नामों को प्रायोजित करने के लिए 2015 की संख्या 2 वाली एक रोजगार अधिसूचना जारी की।

/

/

5. डब्ल्यू. पी. सं. 26043/2016 वर्ष 2015 में एन. टी. पी. सी. द्वारा जारी उपरोक्त अधिसूचना का आरोप लगाते हुए एक पीड़ित भूमि बेदखल व्यक्ति द्वारा दायर किया गया था और ए

/

459

गुरुदीप सिंह बनाम रेगोंडा श्रीनिवास और ओआरएस। [बी. वी. नागरत्ना जे.] ए.

उक्त अधिसूचना के अनुसार एनटीपीसी लिमिटेड द्वारा की गई भर्ती प्रक्रिया और इसे एल. डी. द्वारा अलग रखा गया था। भर्ती के माध्यम के रूप में प्रदान किए गए उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश केवल साक्षात्कार के माध्यम से थे।

6. मुकदमेबाजी का एक और दौर तब शुरू हुआ जब एनटीपीसी ने जूनियर मजदूरों की भर्ती के लिए एक अधिसूचना (2017 का नंबर 1) दिनांक 09.03.2017 जारी की, जिसे उच्च न्यायालय के समक्ष भी चुनौती दी गई थी।तेलंगाना राज्य के लिए उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने 2020 के W.A.No.277 में एनटीपीसी को 2017 की अधिसूचना No.01 के अनुसरण में भर्ती की पूरी प्रक्रिया को दिनांक 17.12.2021 के उक्त निर्णय की तारीख से दो महीने के भीतर समाप्त करने का निर्देश दिया।

/

/

7. उच्च न्यायालय के दिनांक 17.12.2021 के निर्देश के अनुसार, 2022 की संख्या 1 वाली एक नई भर्ती अधिसूचना जारी की गई और भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई और 2017 की रोजगार अधिसूचना No.01, दिनांक 09.03.2017 को रद्द कर दिया गया।

8. जबकि मामले इस प्रकार बने रहे, यहाँ उत्तरदाताओं ने 2022 की संख्या 776 वाली एक अवमानना याचिका दायर की जिसमें अपीलकर्ताओं को जानबूझकर उच्च न्यायालय के दिनांक 1 के आदेशों का पालन/कार्यान्वयन नहीं करने और जानबूझकर उल्लंघन करने के लिए दंडित करने और अपीलकर्ताओं को अदालत की अवमानना में रखने का अनुरोध किया गया था। 2022 के अवमानना मामला संख्या 776 में आक्षेपित निर्णय द्वारा, उच्च न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि 2020 के अवमानना मामले और बैच में पारित किए गए अवमानना मामले के निहितार्थ के बारे में पूरी तरह से अवगत होने के बावजूद, अपीलकर्ताओं की ओर से जानबूझकर और जानबूझकर गलती, चूक और आयोग किए गए थे, और इसलिए, उच्च न्यायालय ने अवमानना मामले की अनुज्ञात और निर्देश दिया कि अपीलकर्ताओं को दो (02) महीने की अवधि के लिए साधारण कारावास भुगतना होगा और निर्णय की तारीख से चार (04) सप्ताह के भीतर प्रत्येक को 2,000/- रुपये (केवल दो हजार रुपये) का जुर्माना देना होगा।

/

/

/

9. आक्षेपित निर्णय में तेलंगाना उच्च न्यायालय की प्रमुख टिप्पणियां इस प्रकार हैं:

/

ए। कि अपीलार्थियों को निर्णय की तारीख से दो महीने की अवधि के भीतर 2017 की अधिसूचना 09.03.2017 के बाद भर्ती की प्रक्रिया पूरी करनी चाहिए थी और ऐसे समय के भीतर परिणामी नियुक्ति आदेश जारी करने चाहिए थे।

/

बी। कि अपीलार्थी 2022 की अधिसूचना No.01 जारी करने और 2020 की W.A.No.277 और बैच में उच्च न्यायालय की एक खंड पीठ द्वारा पारित 17.12.2021 के निर्णय को हटाने का प्रयास करने में प्रमुख व्यक्ति थे।

ग. अपीलार्थियों और एनटीपीसी लिमिटेड ने न्यायालय के दिनांक 1 के आदेशों का पालन करने के लिए कोई प्रयास नहीं करके विधि और उच्च न्यायालय के आदेश के प्रति अपना कम सम्मान प्रदर्शित किया था।

/

घ. उच्च न्यायालय द्वारा निर्देशित भर्ती प्रक्रिया को पूरा करने के बजाय, अपीलकर्ताओं ने एक नई अधिसूचना (2022 की अधिसूचना संख्या 1 दिनांक 01.02.2022) जारी करके न्यायालय के आदेशों का उल्लंघन किया और 2017 की रोजगार अधिसूचना No.01, दिनांक 09.03.2017 के माध्यम से शुरू की गई भर्ती प्रक्रिया को रद्द कर दिया।

/

ई. उच्च न्यायालय ने अपीलार्थियों द्वारा दी गई बिना शर्त माफी पर ध्यान दिया, लेकिन यह मानते हुए इसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया कि वे किसी भी तरह की नरमी के हकदार नहीं हैं।

/

उच्च न्यायालय की उक्त टिप्पणियों से व्यथित, वर्तमान अपीलें समकालीन-अपीलार्थियों द्वारा दायर की गई हैं।

10. हमने अपीलार्थियों के लिए विद्वान सॉलिसिटर जनरल और प्रत्यर्थी के लिए श्री अरुण K.Sinha विद्वान वकील Nos.1 को 7 तक सुना है। 11.प्रस्तुतियों के दौरान, विद्वान सॉलिसिटर जनरल ने आक्षेपित निर्णय के पैराग्राफ 10 से 12 की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया, जो इस प्रकार हैः-

/

“10. मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, हालांकि प्रतिवादी द्वारा बिना शर्त माफी मांगी जाती है, जिस तरह से उन्होंने जानबूझकर और जानबूझकर इस न्यायालय के आदेशों की अवज्ञा की, वे किसी भी नरमी के पात्र नहीं हैं और इस न्यायालय ने इस तरह की बिना शर्त माफी को स्वीकार करने से इनकार कर दिया है।

/

11. ऊपर वर्णित कारणों के लिए, हम मानते हैं कि प्रतिवादी Nos.1 और 2 ने जानबूझकर और जानबूझकर इस न्यायालय के एक माननीय खंड पीठ द्वारा 2020 के डब्ल्यू. ए.

No.277 और बैच, 17.12.2021 पर पारित इस न्यायालय के आदेशों की अवज्ञा की है और वे इसके लिए दंडित किए जाने के लिए उत्तरदायी हैं।

/

12. तदनुसार, अवमानना मामले की अनुज्ञात जाती है।प्रतिवादी Nos.1 और 2 को ए के लिए साधारण कारावास की सजा सुनाई जाती है।

/

दो (02) महीने की अवधि और आज से चार (04) सप्ताह के भीतर प्रत्येक पर 2,000/- रुपये (केवल दो हजार रुपये) का जुर्माना देना।याचिकाकर्ताओं को चार (04) सप्ताह के भीतर प्रति दिन निर्वाह भत्ता @Rs.500 जमा करने का निर्देश दिया जाता है।प्रतिवादी Nos.1 और 2 पर लगाए गए कारावास की सजा आज से छह (06) सप्ताह की अवधि के लिए निलंबित कर दी गई है। "

/

उन्होंने प्रस्तुत किया कि उच्च न्यायालय को इसमें अपीलकर्ताओं द्वारा दी गई बिना शर्त माफी को स्वीकार करना चाहिए था क्योंकि स्पष्ट रूप से 17.12.2021 पर उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश की कोई जानबूझकर और जानबूझकर अवज्ञा नहीं की गई थी।

इस संबंध में, हमारा ध्यान 2020 की रिट अपील 277 और 268 में उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा पारित दिनांक 1 के आदेश की ओर आकर्षित किया गया था, उक्त आदेश का प्रासंगिक हिस्सा निम्नानुसार हैः

/

“एनटीपीसी भूमि विस्थापितों को रोजगार देने के नीतिगत निर्णय के आधार पर समूह "डी" कर्मचारियों के पद के लिए चयन की प्रक्रिया के साथ आगे बढ़ रहा है और 2017 से भर्ती मुकदमेबाजी के कारण रुकी हुई है।एन. टी. पी. सी. ने एक लिखित परीक्षा आयोजित करके एक पारदर्शी प्रक्रिया अपनाई है और नियमों में भी संशोधन किया है और इस न्यायालय को एन. टी. पी. सी. द्वारा दिनांकित 15.05.2015 अधिसूचना अपास्त करते हुए और 12.03.2017 पर एक नई अधिसूचना जारी करने में कोई गलती नहीं मिली है।भले ही यह माना जाता है कि एनटीपीसी ने पहले साक्षात्कार की प्रक्रिया आयोजित की है, भर्ती की प्रक्रिया को अंतिम रूप नहीं दिया गया था और एनटीपीसी द्वारा दिनांकित विज्ञापन के अनुसार कोई

नियुक्ति नहीं की गई थी और यह विधि का एक अच्छी तरह से स्थापित प्रस्ताव है कि चयन सूची में शामिल करना किसी व्यक्ति को नियुक्ति का अधिकार प्रदान नहीं करता है।

/

/

/

पहले के दिनांकित 15.05.2015 विज्ञापन को रद्द करने के कारण ठोस और वैध कारण हैं और चूंकि एनटीपीसी अब एक पारदर्शी प्रक्रिया अपना रहा है, इसलिए विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आक्षेपित आदेश को रद्द कर दिया जाता है।एनटीपीसी को आज से दो महीने की अवधि के भीतर विषय भर्ती की पूरी प्रक्रिया को पूरा करने का निर्देश दिया गया है।उपरोक्त के साथ, रिट अपीलों की अनुज्ञात है।लंबित विविध आवेदन, यदि कोई हों, बंद रहेंगे।लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा। "

/

/

विद्वान महान्यायवादी ने प्रस्तुत किया कि उस दिन से दो महीने की अवधि के भीतर भर्ती की पूरी प्रक्रिया को समाप्त करने और परिणामी नियुक्ति आदेश देने के लिए उच्च न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों को ध्यान में रखते हुए, नियुक्ति की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया, चयन सूची भी बनाई गई है।हालाँकि, नियुक्ति आदेश केवल उत्तरदाताओं द्वारा शुरू की गई अवमानना याचिका को ध्यान में रखते हुए अस्थायी रूप से जारी किए गए हैं।

/

उन्होंने प्रस्तुत किया कि यह एक ऐसा मामला है जिसमें यह न्यायालय मामले में हस्तक्षेप कर सकता है और एक उचित आदेश पारित कर सकता है।

12. विद्वान वकील श्री अरुण के. सिन्हा ने प्रस्तुत किया कि प्रतिवादियों को अवमानना याचिका दायर करने के लिए क्यों विवश किया गया था, इसका कारण इस तथ्य के कारण था कि प्रतिवादी भूमि निर्वासित थे जो नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के हकदार हैं और वास्तव में उनके नाम पहले 2015 की चयन सूची में पाए गए थे।हालांकि, कोई नियुक्ति नहीं की गई थी और इसलिए वे अवमानना याचिका दायर करने के लिए विवश थे।हालाँकि, उन्होंने प्रस्तुत किया

कि उच्च न्यायालय द्वारा अपीलकर्ताओं द्वारा दी गई बिना शर्त माफी को स्वीकार नहीं करने के कारणों पर विचार किया जा सकता है और अवमानना याचिका में उचित आदेश दिए जा सकते हैं।उन्होंने आगे कहा कि अपीलकर्ताओं को अपीलकर्ताओं की कंपनी में नियुक्ति के लिए उत्तरदाताओं के मामले पर विचार करने का निर्देश दिया जा सकता है।

/

/

/

13. दिनांक 17.12.2021 के निर्णय के अवलोकन पर, यह सामने नहीं आता है कि इसने अपीलार्थियों को भर्ती की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए एक नई अधिसूचना जारी करने से रोक दिया था।उक्त निर्णय में केवल यह निर्देश दिया गया कि भर्ती की प्रक्रिया दो महीने की अवधि के भीतर पूरी की जाए और सफल उम्मीदवारों को नियुक्ति आदेश जारी किए जाएं।क्या भर्ती 2017 की अधिसूचना के अनुसरण में की जानी थी, या एक नई अधिसूचना जारी करने के माध्यम से, उक्त निर्णय में निर्दिष्ट नहीं किया गया था और इसलिए, हमारे विचार में, मामले का यह पहलू अपीलार्थियों के विवेक पर छोड़ दिया गया था।इस प्रभाव के लिए एक विशिष्ट निर्देश के अभाव में कि भर्ती केवल 2017 की अधिसूचना के अनुसरण में की जाएगी, हम यह मानने में असमर्थ हैं कि एक नई भर्ती अधिसूचना जारी करना न्यायालय की अवमानना होगी।भर्ती को पूरा करने के लिए समय सीमा न्यायालय द्वारा निर्धारित की गई थी, जबकि जिस तरीके से भर्ती को पूरा किया जाना था, वह अपीलार्थियों का विशेषाधिकार था।

/

/

हम विद्वान महान्यायवादी के इस तर्क पर भी ध्यान देते हैं कि ए को ध्यान में रखते हुए केवल अस्थायी नियुक्ति आदेश जारी किए जा सकते हैं।

/

इस तथ्य का कि प्रत्यर्थियों द्वारा शुरू की गई अवमानना याचिका लंबित थी।

14. अपीलार्थियों के लिए विद्वान सॉलिसिटर जनरल और उत्तरदाताओं के लिए विद्वान वकील द्वारा की गई दलीलों को सुनने के बाद, जो हमने ऊपर निकाला है और उच्च न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 1 के आदेश के आलोक में, हम पाते हैं कि उच्च न्यायालय के आदेशों की कोई "जानबूझकर और जानबूझकर" अवज्ञा नहीं की गई है।वास्तव में, इसमें अपीलकर्ताओं ने उच्च

न्यायालय के दिनांक 17.12.2021 के आदेश के कथित उल्लंघन के आधार पर बिना शर्त माफी भी मांगी थी।यहां तक कि अगर उच्च न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंच जाता कि अदालत के आदेश की जानबूझकर और जानबूझकर अवज्ञा की गई थी, तो वह अपीलकर्ताओं द्वारा दी गई उक्त बिना शर्त माफी पर विचार कर सकता था और मामले को समाप्त कर सकता था। हालाँकि, हम पाते हैं कि उच्च न्यायालय ने इसमें अपीलकर्ताओं द्वारा दी गई बिना शर्त माफी पर विचार करने के बजाय, उन्हें साधारण कारावास और जुर्माना देने की सजा सुनाई है।हमें नहीं लगता कि मामले के तथ्यों और 17.12.2021 पर उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा पारित आदेश को ध्यान में रखते हुए लगाई गई उक्त सजा सही थी।

/

/

/

15. इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, हम अपीलार्थियों की बिना शर्त माफी को स्वीकार करना उचित पाते हैं और परिणामस्वरूप उन पर लगाए गए दंड को रद्द कर देते हैं। दीवानी अपीलों को उपरोक्त शर्तों में अनुज्ञात जाती है और उनका निपटारा किया जाता है।

/

लंबित आवेदन, यदि कोई हों, का निपटारा कर दिया जाएगा।

अंकित ज्ञान

अपीलों की अनुज्ञात गई।

(सहायकः आरश चौधरी, एलसीआरए)

/

/

/